राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	नाम अधिवक्ता
1.	3662 / 2024	निशा मल्होत्रा	1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर मंडल, अजमेर। 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, अजमेर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।	श्री वी.एस. भाटी
2.	163 / 2025	निशा मल्होत्रा		

आदेश की दिनांक : 22.01.2025

उपस्थिति :–

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीताराजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपील संख्या 3662/2024 में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक, साइंस के पद पर विकलांग श्रेणी में आदेश दिनांक 26.02.1999 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नांदसी तहसील भिनाय जिला अजमेर में हुई थी। अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.बा.उ.मा.वि., केकड़ी में किया गया, जहां पर अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक, साइंस के रूप में दिनांक 10.02.2001 से 09.10.2004 तक कार्यरत रही। उसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सारनू, सिंधरी, जिला बाड़मेर में किया गया है, जहां पर अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में दिनांक 11.10.2004 से 23.07.2008 तक कार्यरत रहीं। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोठियाना, जावजा, तह. ब्यावर जिला अजमेर में किया गया, जहां पर अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में दिनांक 24.07.2008 से 11.10.2014 तक कार्यरत रही। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगारा भजन गंज, अजमेर में किया गया, जहां पर अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में दिनांक 11.10.2014 से 04.07.2015 तक कार्यरत रही। तत्पश्चात् अपीलार्थी का

स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श नगर जिला अजमेर में किया गया, जहां पर अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के रूप में दिनांक 04.07.2015 से 07.09.2015 तक कार्यरत रही। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को रसायन विज्ञान के रूप में वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर पदोन्नति दी गई, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायपुर, भीलवाड़ा में किया गया। अपीलार्थी का पदस्थापन व्याख्याता के रूप में आदेश दिनांक 03.09.2015 के द्वारा रा.उ.मा.वि., किशनगढ, अजमेर किया गया, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 07.09.2015 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.02.2023 की अनुशंषा के आधार पर उप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। पदोन्नति उपरांत अपीलार्थी ने रा.उ.मा.वि., किशनगढ, अजमेर में दिनांक 27.02.2023 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी का पदस्थापन उप प्राचार्य के पद पर राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर रोड, अजमेर में किया गया, जहां अपीलार्थी ने दिनांक 10.07.2024 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2023 के द्वारा अपीलार्थी को डीपीसी वर्ष 2015–16 में जो व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दी गई थी, उसको रिव्यू डीपीसी के आदेश के अनुसार विलोपित किया गया एवं उसके पश्चात अन्य आलोच्य आदेश दिनांक 28.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उप प्राचार्य के पद पर डीपीसी वर्ष 2022–23 में दी गई पदोन्नति भी निरस्त की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर वर्ष 2015 में पदोन्नति प्रदान की गई थी। उसके पश्चात अपीलार्थी लगातार व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहा और वर्ष 2023 से उप आचार्य के पद पर कार्यरत रहा। 9 वर्ष पश्चात अपीलार्थी की व्याख्याता के पद की पदोन्नति निरस्त की गई। अपीलार्थी की पदोन्नति व्याख्याता के पद पर दिनांक 07.09.2015 को हुई थी एवं उप आचार्य के पद पर पदोन्नति दिनांक 10.07.2024 को हुई थी, जो विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर की गई थी। अपीलार्थी की पदोन्नति को निरस्त किये जाने से अपीलार्थी को भारी आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी अपनी सेवाएं अपने पदोन्नति पद पर दे चुका है। ऐसे में अपीलार्थी की पदोन्नति को निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

3. अपीलार्थी ने एक अन्य अपील संख्या 163/2025 भी प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलार्थी ने एक अन्य आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.2024 को चुनौती दी है। जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी को उप प्राचार्य पद की पदोन्नति को निरस्त किये जाने के उपरांत अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया है।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील संख्या 3662/2024 में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को प्रथम नियुक्ति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर के निर्देशानुसार आदेश दिनांक 18.02.1999 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रदान की गई थी, जिसमें अपीलार्थी को अजमेर संभाग में पदस्थापित किया गया। तदुपरांत अपीलार्थी कार्मिक का स्वैच्छिक स्थानांतरण अजमेर संभाग से जोधपुर संभाग के बाडमेर जिले में किया गया तथा अपीलार्थी कार्मिक द्वारा जोधपुर संभाग के बाडमेर जिले के रा.उ.मा.वि., सरनाउ पंचायत समिति सिन्धरी, जिला बाडमेर में दिनांक 11.10.2004 को कार्यग्रहण किया गया तथा अपीलार्थी कार्मिक दिनांक 11.10.2004 से दिनांक 23.07.2008 तक जोधपुर संभाग के बाडमेर जिले में कार्यरत रहीं तथा पुनः स्वैच्छिक स्थानांतरण के आधार पर अपीलार्थी कार्मिक द्वारा दिनांक 24.07.2008 को अजमेर संभाग में कार्यग्रहण किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि वरिष्ठ अध्यापक का पद संभाग स्तरीय पद है, विभाग द्वारा मण्डल स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तर की स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा राज्य के सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण उपरांत निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के स्तर पर राज्य स्तरीय मिश्रित स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। अपीलार्थी कार्मिक को अजमेर संभाग में वर्ष 1998–1999 में प्रदान की गई प्रथम नियुक्ति के आधार राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में क्रमांक 2001 (1998–1999) प्रदान करते हुए उक्त आधार पर वर्ष 2015–2016 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के पद पर आदेश दिनांक 27.08.2015 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी का अजमेर संभाग से जोधपुर संभाग में स्वैच्छिक अन्तरमण्डल स्थानांतरण किया गया था तथा उक्त स्वैच्छिक स्थानांतरण के आधार पर

नियमानुसार अपीलार्थी कार्मिक की वरिष्ठता का विलोपन किया जाना था परन्तु सूचना/जानकारी के अभाव में अपीलार्थी कार्मिक की उक्त वरिष्ठता का विलोपन नहीं किया गया एवं अपीलाथी कार्मिक को प्रथम नियुक्ति वर्ष 1998—1999 के आधार पर ही व्याख्याता पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष THE RAJASTHAN EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE RULES, 1971 के नियम 29(10) से स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के स्वैच्छिक स्थानांतरण की स्थिति में नवीन मण्डल/जिले में कार्यग्रहण के अनुसार वरिष्ठता का नवीन निर्धारण किया जावेगा साथ ही पूर्व अर्जित—वरिष्ठता स्वतः विलोपित होगी। इस प्रकार अपीलार्थी कार्मिक वर्ष 1998—1999 से अजमेर मण्डल में अर्जित वरिष्ठता की हकदार नहीं है एवं नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 28.08.2023 के द्वारा वर्ष 2015—2016 की रिक्तियों के प्रति व्याख्याता पद पर प्रदान की गई वरिष्ठता/पदोन्नति को विलोपित/निरस्त किया गया है। साथ ही व्याख्याता पद की वरिष्ठता के आधार पर उप—प्रचार्य पद की आगामी पदोन्नति को भी रिव्यू डीपीसी के माध्यम से विलोपित/निरस्त किया गया है।

5. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर के आदेश दिनांक 18.10.1999 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर अजमेर संभाग में की गई थी। वरिष्ठ अध्यापक का पद संभाग स्तरीय पद है। विभाग द्वारा मण्डल स्तरीय वरिष्ठ अध्यापकों की वरिष्ठता सूची जारी गई। अपीलार्थी को अजमेर संभाग की वरियता सूची में शामिल किया गया था। अपीलार्थी ने अपनी स्वेच्छा से अपना स्थानांतरण अजमेर संभाग से जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले में करवाया था। अपीलार्थी ने बाड़मेर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारनू, सिंधरी में दिनांक 11.10.2004 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी दिनांक 23.07.2008 तक जोधपुर संभाग में बाड़मेर जिले में कार्यरत रही। इसके बाद अपीलार्थी अपनी स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर पुनः अजमेर संभाग में दिनांक 24.07.2008 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को अजमेर संभाग में वर्ष 1998—99 में प्राप्त की गई प्रथम नियुक्ति के आधार पर राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरियता क्रमांक 2001 प्रदान करते हुए उक्त आधार पर अपीलार्थी को वर्ष 2015—16 की रिक्तियों के आधार पर व्याख्याता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने स्वेच्छा से अंतरमण्डलीय

स्थानांतरण करवाया था। अपीलार्थी की वरियता स्वेच्छा से अन्य संभाग में स्थानांतरण करवाये जाने के बाद भी विलोपित नहीं की गई। अपीलार्थी जब पुनः अंतर संभाग स्थानांतरण करवाकर वापस अजमेर में पदस्थापित हुआ तब अपीलार्थी की पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं की गई। अपीलार्थी ने स्वैच्छा से अपना अंतरमण्डीय स्थानांतरण करवाया था, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होती है, परंतु अपीलार्थी की पूर्व की अर्जित वरिष्ठता को विलोपित नहीं किया गया। हम पाते हैं कि THE RAJASTHAN EDUCATIONAL SUBORDINATE SERVICE RULES, 1971 के नियम 29(10) में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया हैः–

> "(10) that the persons referred to in proviso (8) and proviso (9) are appointed on the same date, seniority inter-se of such persons shall be determined on the basis of their length of continuous service rendered in the same grade/equated posts in the private institution or Local Body, as the case may be.]
>
> 1 [Explanation: A person working on the post of [Senior Teachers/Teacher] or equivalent posts when transferred from one district/range to another district/range on his own request shall be placed just below the junior most person in seniority list of the new district/range from the date of taking over the charge in the new district/range and will cease to have any right of his seniority in the district/range from which he has been transferred.]"

6. अतः उपरोक्त नियम से स्पष्ट है कि वरिष्ठ अध्यापक के द्वारा स्वैच्छिक स्थानातंरण नवीन मण्डल में हो जाता है तो उसके पूर्व की अर्जित वरिष्ठता स्वतः ही विलोपित हो जायेगी। इसी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की जो वरिष्ठता अजमेर संभाग में विलोपीत की जानी थी, वह नहीं की गई और अपीलार्थी को पूर्व में वर्ष 2015–16 की डीपीसी के द्वारा अजमेर मंडल की पूर्व की वरियता के आधार पर पदोन्नति दी गई। बाद में प्रत्यर्थी विभाग ने त्रुटिपूर्ण पदोन्नति में सुधार करते हुए रिव्यू डीपीसी के आधार पर अपीलार्थी की पूर्व वर्ष 2015–16 की पदोन्नति व उसके उपरांत उप आचार्य पद पर पदोन्नति को निरस्त किया है, जिन्हें नियम विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। प्रत्यर्थीगण द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्णतया नियमानुसार संपादित की गई है, जिस पर अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

7. यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण कर कार्य निष्पादित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण पुरूषोत्तम दास व अन्य बनाम बिहार राज्य (2006)(11) एससी 492 में यह माना गया है कि जहां पदोन्नति कार्मिक की मिथ्या निरूपण के कारण नहीं दी गई हो, वहां पदोन्नति पद के वेतन की वसूली किया जाना उचित नहीं है। हम यह पाते हैं कि वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कोई मिथ्या निरूपण नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी जो पूर्व में पदोन्नति पद पर कार्यरत रह चुका है, उस दौरान अपीलार्थी ने जो वेतन पदोन्नति पद के अनुरूप प्राप्त किया है, उस अवधि के संबंध में अपीलार्थी से वसुली की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में पदोन्नति पद पर कार्य किये जाने की अवधि के संबंध में प्राप्त किये गये वेतन की वसुली अपीलार्थी से नहीं की जाये।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष